सं0-55/XXVIII-5-2006-08/2006

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल देहरादून ।

चिकित्सा अनुभाग-5 देहरादून: दिनांक : 24 मार्च, 2006

विषय: वित्तीय वर्ष 2005-06 में सा0स्वा0केन्द्र बाराकोट तथा पाटी, जनपद चम्पावत के भवन निर्माण की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-79/1/सी0एच0सी0/42/2005/1824 दिनांक 12.01.2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2005-06 में सा0स्वा0केन्द्र बाराकोट तथा पाटी, जनपद चम्पावत के भवन निर्माण हेतु क्रमशः रू0 1,99,60,000.00(रू0 एक करोड़ निन्यानबे लाख साठ हजार मात्र) तथा रू0 2,01,65,000.00(रू0 दो करोड़ एक लाख पैंसठ हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में संलग्न बी0एम0-15 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों के व्ययवर्तन द्वारा संलग्नकानुसार क्रमशः रू0 30,00,000.00(रू0 तीस लाख मात्र) तथा रू0 30,00,000.00(रू0 तीस लाख) इस प्रकार कुल 60,00,000.00(रू0 साठ लाख मात्र)की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1- एकमुश्त प्राविधानों को कार्य से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी

2- कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये । कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा ।

3- भूमि उपलब्ध होने के पश्चात ही धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तत्पश्चात निर्माण इकाई क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी । स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा ।

4- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

5- आगणन में उल्लेखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों में जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, की स्वीकृत नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

6-कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

7- कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है । स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

8- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

9- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10- कार्य करने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशो तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

11- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय। निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

12- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर प्रशासन को उपलब्ध करायी जावेगी। यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गयाहै

13- निर्माण के समय यदि किसी कारण वश यदि परिकल्पनाओं / विशिष्टियो में बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

14- निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15- उक्त भवनों के कार्यो को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े।

16- उक्त व्यय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या -12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-आयोजनागत, 104-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना- 02-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो का निर्माण(विस्तार अंश), 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-15 के कालम-1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

17- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 सं0-726/वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/2006 दिनांक 18.03.2006 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक यथोक्त:

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

सं0-55(1)/XXVIII-5-2006-08/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून।
2- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4- जिलाधिकारी, चम्पावत।
5- मुख्य चिकित्साधिकारी, चम्पावत।
6- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, उत्तरांचल।
7- निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री।
8- बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
9- वित्त(वित्त नियंत्रण) अनुभाग-3/ नियोजन विभाग / एन0आई0सी0।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव

शासनादेश सं0-55/xxviii-5-2006-08/2006 दिनांक 24.03.2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क0सं0	कार्य का नाम	निर्माण इकाई	लागत	वर्ष 2005-06 में स्वीकृत धनराशि
1	सामु0स्वा0केन्द्र बाराकोट जनपद चम्पावत का भवन निर्माण ।	स0क0नि0	199.60	30.00
2	सामु0स्वा0केन्द्र पाटी जनपद चम्पावत का भवन निर्माण ।	स0क0नि0	201.65	30.00
	योग		401.25	60.00

(रू0 साठ लाख मात्र)

(अतर सिंह)
उप सचिव

प्रशासनिक विभाग चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (वित्तीय वर्ष 2005-0

प्रस्तर – 158 अनुदान संख्या-12

बी0एम0-15

नियंत्रक अधिकारी : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल देहरादून ।

पुनर्विनियोजन का आवेदक पत्र (हजार रुपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मद्वार अध्यायधि क व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिनमें धनराशि को स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुर्न-विनियोजन के बाद के स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुर्न-विनियोजन के बाद अवशेष धनराशि (1-5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय -आयोजनागत				4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			(क) बजट प्राविधान आवश्यकता से अधिक होने के कारण । (ख) बजट प्राविधान पर्याप्त न होने के कारण ।
02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें				02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें			
800-अन्य व्यय				104-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
97-बाह्य सहायतित परियोजनाएं				03-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना			
02-हेल्थ सिस्टम परियोजना				02- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण(विस्तार अंश)			
24-वृहत निर्माण कार्य-106917	100000	-	6917(क)	24-वृहत निर्माण कार्य-6000(ख)	59000	100917	
योग- 106917	100000	-	6917	6000	59000	100917	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोजन में बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में अंकित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(अतर सिंह)
उप सचिव